न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 24/2025

श्री प्रभुलाल पुत्र भूरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम पोस्ट सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांकः— 03.04.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. न्यायालय उपखंड अधिकारी उनियारा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा सं. 155/2022 (इन्द्राज दुरुस्ती) उनवानी प्रभुलाल बनाम राज. सरकार में दि.05.08.2022 से आज तक कोई कार्यवाही नहीं कर केवल तारीख पर तारीखे देने बाबत श्रीमति रजनी मीना SDO व श्री त्रिलोक चन्द मीना SDO द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने बाबत राजस्व मंडल को शिकायत दि. 08.07.2024 को प्रेषित की जाकर अपने कर्तव्यों का पालन कर न्याय नहीं देने के क्रम में की गई थी। बोर्ड ने उनके पत्रांक 3186—87 दिनाक 25.08.2024 से प्राथमिक जांच हेतु जिला कलेक्टर महो. टोंक को निर्देशित किया था। कलेक्ट्रेट से SDO श्री त्रिलोक चन्द मीना को ही पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट मांगी गई। जबकि सारी स्थिति छाया प्रति दावा व आर्डर शीट की प्रति से स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी केवल तारीखे देते हैं जो जनहितो के विरुद्ध है। कृपया परिवाद व बोर्ड के पत्र की प्रतियों का अवलोकन करे। और अवगत करावे की बोर्ड के निर्देशों की पालना में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

2. प्रार्थी ने दिनाक 20.08.2024 को परिवाद भेजकर निवेदन किया था कि उक्त दोनों पीठासीन अधिकारियो के विरुद्ध SDO से उच्च पदो वाले अधिकारियो से परिवाद पर P.E. संपन्न करवाई जावे और P.E. कर्ता अधिकारी को निर्देशित करे कि वे प्रार्थी को सुनने व साक्ष्य पेश करने की सुनिश्चितता करने के बाद ही यथाशीघ्र बोर्ड के निर्देशानुसार दोषियों के विरुद्ध डोप DOP को D.E. के प्रस्ताव मय प्रस्तावित आरोपपत्र के भिजवावे। इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई। कृपया अवगत करावे ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 419 दिनांक 21.03.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
640

अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 377 दिनांक 01.04.2025 से जवाब प्रेषित किया है अपीलार्थी को प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र कमांक 1088 दिनांक 10.03.2025 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)